



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267567
CG-DL-E-11112025-267567

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4940]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947

No. 4940]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2025

का.आ. 5095(अ).— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 60 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग की संख्या का.आ. 3550(अ), दिनांक 08 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (3) में, निर्वाचित संसद सदस्यों से संबंधित खंड (क) में, उप-खंड (i) और (ii) तथा उनके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, सदस्य, लोक सभा

(ii) डॉ. सी.एन. मंजूनाथ, सदस्य, लोक सभा”.

[फा. सं. पी-12011/1/2025-नीति-भाग (1)]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3550(अ), दिनांक 8 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसके बाद अधिसूचना संख्या का.आ. 2668(अ), दिनांक 9 जून, 2022 तथा अधिसूचना संख्या का.आ. 4874(अ), दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2025

S.O. 5095(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 60 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, published in the Gazette of India, **Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide** number S.O. 3550 (E), dated the 8th November, 2017, namely:-

In the said notification, in serial number (3), in clause (a) relating to elected Members of Parliament, for sub-clauses (i) and (ii) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“(i) Shri E.T. Mohammed Basheer, Member, Lok Sabha;

(ii) Dr. C.N. Manjunath, Member, Lok Sabha”.

[F. No. P-12011/1/2025-Policy-Part(1)]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 3550 (E), dated the 8th November, 2017 and subsequently amended vide notification number S.O. 2668 (E), dated the 9th June, 2022 and notification number S.O. 4874 (E), dated the 12th October, 2022.